



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 246/2019

दायर दिनांक 23.10.2019

वादी	प्रतिवादीगण
1. पुष्पराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी आकोदा तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. सुशील कुमार पुत्र पुष्पराम 2. भंवरी पतनी पेमाराम 3. पूर्णाराम पुत्र पेमाराम 4. लिछमणराम पुत्र पेमाराम 5. मोहनी पुत्री पेमाराम 6. नारायणी पुत्री पेमाराम 7. भागीरथ राम पुत्र किसनाराम 8. पुसाराम पुत्र किसनाराम 9. चन्द्री देवी पत्नी किसनाराम 10. छोटूराम पुत्र किसनाराम 11. गणपतराम पुत्र जवानाराम 12. मोहनाराम पुत्र जवानाराम 13. मूलीदेवी पुत्री जवानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण आकोदा
बनाम्	14. हनुमानाराम पुत्र बक्साराम, 15. श्रवणराम पुत्र स्व0 बक्साराम 16. छोटूडी पत्नी जीवणराम 17. अन्नाराम पुत्र जीवणराम 18. मदनाराम पुत्र जीवणराम 19. रामीदेवी पत्नी जालूराम 20. सूमन पुत्र जालूराम 21. जेठी पुत्री स्व0 बक्साराम 22. सजना पुत्री स्व0 बक्साराम 23. कमला पुत्री स्व0 बक्साराम 24. जगदीश पुत्र तुलछाराम 25. हरदीनराम पुत्र गोकुलराम समस्त जाति मेघवाल निवासी आकोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 26. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

सपरिधत:-

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील, वादी।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया वकील प्रतिवादी सं0 01, 17 व 18 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 246/2019
दायर दिनांक 23.10.2019, निर्णय दिनांक 13.12.2019
पुष्पाराम बनाम सुशील, वगैरा।

—:: अंतिम निर्णय ::—

दिनांक 31.12.2019

सरहद आकोदा में खेत खसरा नम्बर 56 रकबा 38.18 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 13.12.2019 को तहसीलदार डीडवाना निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 2222 दिनांक 26.12.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। प्राथमिक डिक्री के समर्थन में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 2222 दिनांक 26.12.2019 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


आदेश

दावा डिक्री सादिर कर, सरहद आकोदा में खेत खसरा नम्बर 56 रकबा 38.18 बीघा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2222 दिनांक 26.12.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2222 दिनांक 26.12.2019, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(अंशुल सिंह)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (कलक्टर)
डीडवाना

अंतिम निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


(अंशुल सिंह)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (कलक्टर)
डीडवाना

डिक्री वमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 246/2019

दायर दिनांक 23.10.2019

वादी	प्रतिवादीगण
1. पुष्पाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी आकोदा तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. सुशील कुमार पुत्र पुष्पाराम 2. भंवरी पतनी पेमाराम 3. पूर्णाराम पुत्र पेमाराम 4. लिछमणराम पुत्र पेमाराम 5. मोहनी पुत्री पेमाराम 6. नारायणी पुत्री पेमाराम 7. भागीरथ राम पुत्र किसनाराम 8. पुसाराम पुत्र किसनाराम 9. चन्द्री देवी पत्नी किसनाराम 10. छोटूराम पुत्र किसनाराम 11. गणपतराम पुत्र जवानाराम 12. मोहनाराम पुत्र जवानाराम 13. मूलीदेवी पुत्री जवानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण आकोदा बनाम् 14. हनुमानाराम पुत्र बक्साराम, 15. श्रवणराम पुत्र स्व0 बक्साराम 16. छोटूडी पत्नी जीवणराम 17. अन्नाराम पुत्र जीवणराम 18. मदनाराम पुत्र जीवणराम 19. रामीदेवी पत्नी जालूराम 20. सूमन पुत्र जालूराम 21. जेठी पुत्री स्व0 बक्साराम 22. सजना पुत्री स्व0 बक्साराम 23. कमला पुत्री स्व0 बक्साराम 24. जगदीश पुत्र तुलछाराम 25. हरदीनराम पुत्र गोकुलराम समस्त जाति मेघवाल निवासी आकोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 26. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व रथाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 31.12.2019

यह मुकदमा आज चारते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी
मिनजानिय मुदवई श्री महेन्द्र खिलेरी, वकील, वादी एवं श्री ओम प्रकाश पूनिया, वकील,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्रतिवादीगण संख्या 01, 17 व 18 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, सरहद आकोदा में खेत खसरा नम्बर 56 रकबा 38.18 बीघा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2222 दिनांक 26.12.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2222 दिनांक 26.12.2019, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
...खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 31.12.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

